प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 31 अगस्त, 2017**

विषयः- रायबरेली रोड, वृन्दावन योजना में स्थित ट्रामा सेंटर, के0जी0एम0यू0 लखनऊ से एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-179/पीजीआई/डीआईआर/कैम्प/17, दिनांक 17 मई, 2017, जिसके द्वारा रायबरेली रोड, वृन्दावन योजना में स्थित ट्रामा सेंटर को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु के0जी0एम0यू0 लखनऊ से एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ को हस्तान्तरित किये जाने पर सहमति दी गयी है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- विषयगत प्रकरण में शासनादेश संख्या-4336/71-2-15-पी-17/2008, दिनांक 08-12-2015 द्वारा प्रश्नगत ट्रामा सेंटर, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ को हस्तान्तरित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

3- उक्त ट्रामा सेन्टर किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ को हस्तान्तरित किये जाने के उपरान्त शासनादेश संख्या-643/71-2-16-पी-36/2013 दिनांक 12 फरवरी, 2016 द्वारा 454 पद (शैक्षणिक संवर्ग के 50 पद तथा आउट सोर्सिंग के 404 पद) शासनादेश संख्या-3609/71-2-16-पी-36/2013 दिनांक 16 सितम्बर, 2016 द्वारा सीनियर/जूनियर रेजीडेण्ट के 175 पद तथा शासनादेश संख्या-4399/71-2-2016-पी-36/2013 दिनांक 15 नवम्बर, 2016 द्वारा गैर शैक्षणिक संवर्ग के 575 पदों का सृजन किया गया। उक्त सृजित पदों के सापेक्ष के0जी0एम0यू0 द्वारा शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के 13 पदों पर नियुक्ति की चुकी है।

4- के0जी0एम0यू0 द्वारा रू0 9,20,09,328/- (रूपया नौ करोड बीस लाख नौ हजार तीन सौ अट्ठाइस मात्र) के उपकरणों का क्रय किया गया। कुलपति, के0जी0एम0यू0 द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के 13 पदों पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों तथा उक्त क्रय किये गये उपकरणों को के0जी0एम0यू0 को ही दिये जाने का अनुरोध किया गया है, ताकि के0जी0एम0यू0 में आने वाले ट्रामा के गम्भीर रोगियों का समुचित उपचार सुनिश्चित किया जा सके।

5- के0जी0एम0यू0 के पत्र संख्या-2452/मीटिंग सेल, दिनांक 17-6-2017 द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सा विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद द्वारा के0जी0एम0यू0 ट्रामा सेंटर-2 को एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ को अंतरित किये जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

6- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा प्रश्न ट्रामा सेन्टर को संचालन किये जाने के संबंध में दी गयी सहमति एवं इस विषय में के0जी0एम0यू0 की कार्यपरिषद की अनुमति के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त विषयक ट्रामा सेन्टर को संचालित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. वृन्दावन आवासीय योजना-4, सेक्टर-5 पर निर्मित ट्रामा सेन्टर के सुचारू संचालन हेतु समस्त चल एवं अचल सम्पत्तियों सहित के0जी0एम0यू0 लखनऊ से एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ को सम्पूर्ण विधिक स्वामित्व सहित हस्तगत किया जायेगा।
2. शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक एवं आउट सोर्सिंग के माध्यम से भर्ती हेतु सृजित समस्त पद (शैक्षणिक संवर्ग के जिन 13 पदों पर के0जी0एम0यू0 द्वारा भर्ती की जा चुकी है, को छोडते हुए) एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ को नियमानुसार भर्ती हेतु हस्तगत किया जायेगा।
3. शैक्षणिक संवर्ग पदों के सापेक्ष के0जी0एम0यू0 द्वारा भर्ती किये गये 13 असिस्टेंट प्रोफेसर को पद सहित के0जी0एम0यू0 को हस्तांतरित किया जायेगा।
4. प्रश्नगत ट्रामा सेन्टर के संचालन हेतु के0जी0एम0यू0 द्वारा रू0 रू0 9,20,09,328/- की लागत से क्रय किये गये उपकरणों की उपयोगिता के0जी0एम0यू0 में स्थापित ट्रामा सेंटर में होने के दृष्टिगत उपकरणों/संयंत्रों को के0जी0एम0यू0 को हस्तांतरित किया जायेगा।

7- रायबरेली रोड, वृन्दावन योजना में स्थित ट्रामा सेंटर के संचालन हेतु शासन के उक्त निर्णय से अवगत होते हुए आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-59/2017/3101(1)/71-2-17-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव, श्री राज्यपाल/मा0 कुलाधिपति, राजभवन, उ0प्र0।
4. सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, वित्त/आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
7. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8. कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 लखनऊ।
9. महानिदेशक/वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
10. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0/के0जी0एम0यू0 लखनऊ।
11. संबंधित कोषाधिकारी (लखनऊ)।
12. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/(आय-व्ययक)-2
13. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।